जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 24.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 258/24 धारा 392/411 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.06.2024 को वादी श्री चन्द्रशेखर यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव निवासी मौ0 साहुवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 02.06.2024 को वादी तथा वादी की पत्नी किरन यादव प्रातः 06.30 बजे S.B.D College, धामपुर से योग करने के पश्चात वापस घर जा रहे थे कि दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार पीछे से आये तथा वादी की पत्नी किरन यादव के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 258/24 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 02 अभियुक्तगण 1.नासिर पुत्र पीरू 2.शाहरुख पुत्र खुर्शीद निवासीगण ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया। दिनांक 15.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नासिर को लूटी गयी चेन (पीली धातु) सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में चोरी/लूट जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं चोरी/लूट में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त **शाहरुख पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाहरुख के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) व एक अवैध चाकू बरामद किया गया। अवैध चाकू की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र खुर्शीद निवासीगण ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट)

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2147 अंकित थाना धामपुर जनपद बिजनौर

5.कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर